

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

## मांग संख्या 57

## स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

| मुख्य शीर्ष                                                          |      | बजट 2009-2010 |              |           | संशोधित 2009-2010 |              |           | बजट 2010-2011 |              |           |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|-----------|
|                                                                      |      | आयोजना        | आयोजना-भित्त | जोड़      | आयोजना            | आयोजना-भित्त | जोड़      | आयोजना        | आयोजना-भित्त | जोड़      |
| राजस्व                                                               |      | 26050.00      | 2299.21      | 28349.21  | 22479.00          | 2609.00      | 25088.00  | 31036.00      | 2178.00      | 33214.00  |
| पूँजी                                                                |      | 750.00        | ...          | 750.00    | 250.00            | ...          | 250.00    | ...           | ...          | ...       |
| जोड़                                                                 |      | 26800.00      | 2299.21      | 29099.21  | 22729.00          | 2609.00      | 25338.00  | 31036.00      | 2178.00      | 33214.00  |
| 1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं                                            | 2251 | ...           | 4.02         | 4.02      | ...               | 3.80         | 3.80      | ...           | 4.22         | 4.22      |
| सामान्य शिक्षा                                                       |      |               |              |           |                   |              |           |               |              |           |
| प्राथमिक शिक्षा                                                      |      |               |              |           |                   |              |           |               |              |           |
| 2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण                           | 2202 | 1.30          | ...          | 1.30      | 0.50              | ...          | 0.50      | 1.30          | ...          | 1.30      |
|                                                                      | 3601 | 428.70        | ...          | 428.70    | 276.30            | ...          | 276.30    | 428.70        | ...          | 428.70    |
|                                                                      | 3602 | 20.00         | ...          | 20.00     | 15.00             | ...          | 15.00     | 20.00         | ...          | 20.00     |
|                                                                      | जोड़ | 450.00        | ...          | 450.00    | 291.80            | ...          | 291.80    | 450.00        | ...          | 450.00    |
| 3. महिला समाख्या                                                     | 2202 | 38.00         | ...          | 38.00     | 42.00             | ...          | 42.00     | 46.00 *       | ...          | 46.00     |
| 4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली                                      | 2202 | 6.30          | 5.23         | 11.53     | 6.30              | 6.10         | 12.40     | 12.82         | 5.70         | 18.52     |
| 5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)                             | 2202 | 0.01          | ...          | 0.01      | ...               | ...          | ...       | ...           | ...          | ...       |
| 6. स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम                  | 2202 | 1238.10       | ...          | 1238.10   | 528.00            | ...          | 528.00    | 96.12         | ...          | 96.12     |
|                                                                      | 3601 | 611.20        | ...          | 611.20    | 259.23            | ...          | 259.23    | 2368.32       | ...          | 2368.32   |
|                                                                      | 3602 | 75.00         | ...          | 75.00     | 37.00             | ...          | 37.00     | 80.68         | ...          | 80.68     |
|                                                                      | जोड़ | 1924.30       | ...          | 1924.30   | 824.23            | ...          | 824.23    | 2545.12       | ...          | 2545.12   |
| 7. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)                                        | 2202 | 4239.23       | ...          | 4239.23   | 3517.88           | ...          | 3517.88   | 4994.08 **    | ...          | 4994.08   |
|                                                                      | 3601 | 0.01          | ...          | 0.01      | 0.01              | ...          | 0.01      | 0.01          | ...          | 0.01      |
|                                                                      | 3602 | 0.01          | ...          | 0.01      | 0.01              | ...          | 0.01      | 0.01          | ...          | 0.01      |
|                                                                      | जोड़ | 4239.25       | ...          | 4239.25   | 3517.90           | ...          | 3517.90   | 4994.10       | ...          | 4994.10   |
| 8.1 राष्ट्रीय निवेश निधि का आय और व्यय खाते में अंतरण                | 3475 | 185.90        | ...          | 185.90    | 185.90            | ...          | 185.90    | 125.88        | ...          | 125.88    |
| 8.2 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम                 | 2202 | 185.90        | ...          | 185.90    | 185.90            | ...          | 185.90    | 125.88        | ...          | 125.88    |
| 8.3 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि                          | 2202 | -185.90       | ...          | -185.90   | -185.90           | ...          | -185.90   | -125.88       | ...          | -125.88   |
|                                                                      | निवल | 185.90        | ...          | 185.90    | 185.90            | ...          | 185.90    | 125.88        | ...          | 125.88    |
| 9. प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण (पीएसके)                            | 2202 | 12784.47      | ...          | 12784.47  | 12257.67          | ...          | 12257.67  | 14433.00      | ...          | 14433.00  |
| 10. प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्तपोषित स्कीमें                       |      |               |              |           |                   |              |           |               |              |           |
| 10.1 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम                | 2202 | ...           | ...          | ...       | 705.10            | ...          | 705.10    | 100.00        | ...          | 100.00    |
|                                                                      | 3601 | 5089.80       | ...          | 5089.80   | 4907.55           | ...          | 4907.55   | 5725.00       | ...          | 5725.00   |
|                                                                      | 3602 | ...           | ...          | ...       | ...               | ...          | ...       | ...           | ...          | ...       |
|                                                                      | जोड़ | 5089.80       | ...          | 5089.80   | 5612.65           | ...          | 5612.65   | 5825.00       | ...          | 5825.00   |
| 10.2 सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)                                       | 2202 | 7694.67       | ...          | 7694.67   | 8416.02           | ...          | 8416.02   | 8608.00       | ...          | 8608.00   |
|                                                                      | 3601 | ...           | ...          | ...       | ...               | ...          | ...       | ...           | ...          | ...       |
|                                                                      | 3602 | ...           | ...          | ...       | ...               | ...          | ...       | ...           | ...          | ...       |
|                                                                      | जोड़ | 7694.67       | ...          | 7694.67   | 8416.02           | ...          | 8416.02   | 8608.00       | ...          | 8608.00   |
| प्रारंभिक शिक्षा कोष से पूरी की गई राशि (पीएसके)                     | 2202 | -7694.67      | ...          | -7694.67  | -9121.12          | ...          | -9121.12  | -8708.00      | ...          | -8708.00  |
|                                                                      | 3601 | -5089.80      | ...          | -5089.80  | -4907.55          | ...          | -4907.55  | -5725.00      | ...          | -5725.00  |
|                                                                      | 3602 | ...           | ...          | ...       | ...               | ...          | ...       | ...           | ...          | ...       |
|                                                                      | जोड़ | -12784.47     | ...          | -12784.47 | -14028.67         | ...          | -14028.67 | -14433.00     | ...          | -14433.00 |
| 11. मदरसों में गुणता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) | 2202 | 2.50          | ...          | 2.50      | 2.50              | ...          | 2.50      | 2.50          | ...          | 2.50      |
|                                                                      | 3601 | 42.49         | ...          | 42.49     | 42.49             | ...          | 42.49     | 42.49         | ...          | 42.49     |
|                                                                      | 3602 | 0.01          | ...          | 0.01      | 0.01              | ...          | 0.01      | 0.01          | ...          | 0.01      |
|                                                                      | जोड़ | 45.00         | ...          | 45.00     | 45.00             | ...          | 45.00     | 45.00         | ...          | 45.00     |
| 12. अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरचक्रा विकास की योजनाएं (आईडीएमआई)    | 2202 | 0.01          | ...          | 0.01      | 0.01              | ...          | 0.01      | 0.01          | ...          | 0.01      |
|                                                                      | 3601 | 4.48          | ...          | 4.48      | 4.48              | ...          | 4.48      | 9.65          | ...          | 9.65      |
|                                                                      | 3602 | 0.01          | ...          | 0.01      | 0.01              | ...          | 0.01      | 0.01          | ...          | 0.01      |
|                                                                      | जोड़ | 4.50          | ...          | 4.50      | 4.50              | ...          | 4.50      | 9.67          | ...          | 9.67      |
| जोड़ प्रारंभिक शिक्षा                                                |      | 19677.73      | 5.23         | 19682.96  | 17175.30          | 6.10         | 17181.40  | 22661.59      | 5.70         | 22667.29  |
| माध्यमिक शिक्षा                                                      |      |               |              |           |                   |              |           |               |              |           |
| 13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद                    | 2202 | 36.00         | 97.41        | 133.41    | 22.00             | 97.41        | 119.41    | 36.00         | 107.30       | 143.30    |
| 14. केंद्रीय विद्यालय संगठन                                          | 2202 | 270.00        | 1812.83      | 2082.83   | 306.00            | 2085.44      | 2391.44   | 315.00        | 1652.00      | 1967.00   |
| 15. नवोदय विद्यालय समिति                                             | 2202 | 1170.00       | 341.29       | 1511.29   | 1170.00           | 376.20       | 1546.20   | 1246.50       | 370.40       | 1616.90   |
| 16. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान                                 | 2202 | 983.46        | ...          | 983.46    | 412.29            | ...          | 412.29    | 1527.52       | ...          | 1527.52   |
|                                                                      | 3601 | 150.00        | ...          | 150.00    | 59.96             | ...          | 59.96     | 0.01          | ...          | 0.01      |
|                                                                      | 3602 | 10.00         | ...          | 10.00     | 5.00              | ...          | 5.00      | 0.01          | ...          | 0.01      |
|                                                                      | जोड़ | 1143.46       | ...          | 1143.46   | 477.25            | ...          | 477.25    | 1527.54       | ...          | 1527.54   |

|                                                                                                                 |             | (करोड़ रुपए)  |              |         |                   |              |         |               |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
|                                                                                                                 | मुख्य शीर्ष | बजट 2009-2010 |              |         | संशोधित 2009-2010 |              |         | बजट 2010-2011 |              |         |
|                                                                                                                 |             | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़    | आयोजना            | आयोजना-भिन्न | जोड़    | आयोजना        | आयोजना-भिन्न | जोड़    |
| 17. उत्कृष्टता के बैंच मार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना                          | 2202        | 282.00        | ...          | 282.00  | 242.88            | ...          | 242.88  | 382.48        | ...          | 382.48  |
|                                                                                                                 | 3601        | 30.00         | ...          | 30.00   | 0.01              | ...          | 0.01    | 0.01          | ...          | 0.01    |
|                                                                                                                 | 3602        | 0.90          | ...          | 0.90    | 0.01              | ...          | 0.01    | 0.01          | ...          | 0.01    |
|                                                                                                                 | जोड़        | 312.90        | ...          | 312.90  | 242.90            | ...          | 242.90  | 382.50        | ...          | 382.50  |
| 18. विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी                                                                  | 2202        | 22.00         | ...          | 22.00   | 6.50              | ...          | 6.50    | 39.15         | ...          | 39.15   |
|                                                                                                                 | 3601        | 244.00        | ...          | 244.00  | 172.00            | ...          | 172.00  | 316.85        | ...          | 316.85  |
|                                                                                                                 | 3602        | 4.00          | ...          | 4.00    | 1.50              | ...          | 1.50    | 4.00          | ...          | 4.00    |
|                                                                                                                 | जोड़        | 270.00        | ...          | 270.00  | 180.00            | ...          | 180.00  | 360.00        | ...          | 360.00  |
| 19. माध्यमिक विद्यालय में विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)                                           | 2202        | 1.50          | ...          | 1.50    | 1.00              | ...          | 1.00    | 3.50          | ...          | 3.50    |
|                                                                                                                 | 3601        | 60.00         | ...          | 60.00   | 50.90             | ...          | 50.90   | 58.00         | ...          | 58.00   |
|                                                                                                                 | 3602        | 1.50          | ...          | 1.50    | 2.10              | ...          | 2.10    | 1.50          | ...          | 1.50    |
|                                                                                                                 | जोड़        | 63.00         | ...          | 63.00   | 54.00             | ...          | 54.00   | 63.00         | ...          | 63.00   |
| 20. राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान*                                                                             | 2202        | 15.00         | ...          | 15.00   | 15.00             | ...          | 15.00   | 15.00         | ...          | 15.00   |
| 21. सुलभता और साम्यता                                                                                           | 2202        | 0.01          | ...          | 0.01    | 0.05              | ...          | 0.05    | 0.45          | ...          | 0.45    |
|                                                                                                                 | 3601        | ...           | ...          | ...     | ...               | ...          | ...     | ...           | ...          | ...     |
|                                                                                                                 | 3602        | ...           | ...          | ...     | ...               | ...          | ...     | ...           | ...          | ...     |
|                                                                                                                 | जोड़        | 0.01          | ...          | 0.01    | 0.05              | ...          | 0.05    | 0.45          | ...          | 0.45    |
| 22. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय सोसाइटी प्रशासन                                                                  | 2202        | 6.00          | 32.00        | 38.00   | 6.00              | 34.33        | 40.33   | 8.00          | 31.82        | 39.82   |
| 23. शिक्षा का व्यावसायीकरण                                                                                      | 2202        | 6.00          | ...          | 6.00    | 0.30              | ...          | 0.30    | 4.70          | ...          | 4.70    |
|                                                                                                                 | 3601        | 25.80         | ...          | 25.80   | 0.50              | ...          | 0.50    | 17.30         | ...          | 17.30   |
|                                                                                                                 | 3602        | 1.50          | ...          | 1.50    | 0.10              | ...          | 0.10    | 0.50          | ...          | 0.50    |
|                                                                                                                 | जोड़        | 33.30         | ...          | 33.30   | 0.90              | ...          | 0.90    | 22.50         | ...          | 22.50   |
| 24. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम                                        | 2202        | 1.00          | ...          | 1.00    | 1.00              | ...          | 1.00    | 1.00          | ...          | 1.00    |
|                                                                                                                 | 3601        | 42.50         | ...          | 42.50   | 29.50             | ...          | 29.50   | 42.50         | ...          | 42.50   |
|                                                                                                                 | 3602        | 1.50          | ...          | 1.50    | 1.00              | ...          | 1.00    | 1.50          | ...          | 1.50    |
|                                                                                                                 | जोड़        | 45.00         | ...          | 45.00   | 31.50             | ...          | 31.50   | 45.00         | ...          | 45.00   |
| 25. माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास निर्माण और संचालन की योजना | 2202        | 4.50          | ...          | 4.50    | 0.01              | ...          | 0.01    | 1.00          | ...          | 1.00    |
|                                                                                                                 | 3601        | 49.00         | ...          | 49.00   | 71.49             | ...          | 71.49   | 88.99         | ...          | 88.99   |
|                                                                                                                 | 3602        | 0.50          | ...          | 0.50    | 0.50              | ...          | 0.50    | 0.01          | ...          | 0.01    |
|                                                                                                                 | जोड़        | 54.00         | ...          | 54.00   | 72.00             | ...          | 72.00   | 90.00         | ...          | 90.00   |
| 26. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति                                                                                  | 2202        | 0.01          | ...          | 0.01    | 0.01              | ...          | 0.01    | 0.01          | ...          | 0.01    |
|                                                                                                                 | 3601        | 14.38         | ...          | 14.38   | 14.38             | ...          | 14.38   | 13.48         | ...          | 13.48   |
|                                                                                                                 | 3602        | 0.01          | ...          | 0.01    | 0.01              | ...          | 0.01    | 0.01          | ...          | 0.01    |
|                                                                                                                 | जोड़        | 14.40         | ...          | 14.40   | 14.40             | ...          | 14.40   | 13.50         | ...          | 13.50   |
| 27. राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना                                                                 | 2202        | ...           | ...          | ...     | 3.00              | ...          | 3.00    | 81.45         | ...          | 81.45   |
|                                                                                                                 | 6202        | 750.00        | ...          | 750.00  | 250.00            | ...          | 250.00  | ...           | ...          | ...     |
|                                                                                                                 | जोड़        | 750.00        | ...          | 750.00  | 253.00            | ...          | 253.00  | 81.45         | ...          | 81.45   |
| 28. अन्य कार्यक्रम                                                                                              | 2202        | 1.00          | 2.60         | 3.60    | 0.50              | 1.98         | 2.48    | 1.00          | 3.08         | 4.08    |
| जोड़-माध्यमिक शिक्षा                                                                                            |             | 4184.07       | 2286.13      | 6470.20 | 2845.50           | 2595.36      | 5440.86 | 4207.44       | 2164.60      | 6372.04 |
| <b>प्रौढ़ शिक्षा</b>                                                                                            |             |               |              |         |                   |              |         |               |              |         |
| 29. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना                                                                           | 2202        | 283.50        | ...          | 283.50  | 313.50            | ...          | 313.50  | 1050.10       | ...          | 1050.10 |
| 30. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता              | 2202        | 109.42        | ...          | 109.42  | 79.42             | ...          | 79.42   | 108.90        | ...          | 108.90  |
| 31. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय                                                                                      | 2202        | 10.80         | 3.18         | 13.98   | 10.80             | 3.11         | 13.91   | 9.00          | 2.80         | 11.80   |
| 32. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण                                                                           | 2202        | 2.18          | 0.07         | 2.25    | 2.18              | 0.06         | 2.24    | 2.00          | 0.07         | 2.07    |
|                                                                                                                 | 2251        | ...           | ...          | ...     | ...               | ...          | ...     | ...           | ...          | ...     |
|                                                                                                                 | जोड़        | 2.18          | 0.07         | 2.25    | 2.18              | 0.06         | 2.24    | 2.00          | 0.07         | 2.07    |
| 33. अन्य कार्यक्रम                                                                                              | 2202        | ...           | 0.58         | 0.58    | ...               | 0.57         | 0.57    | ...           | 0.61         | 0.61    |
| जोड़-प्रौढ़ शिक्षा                                                                                              |             | 405.90        | 3.83         | 409.73  | 405.90            | 3.74         | 409.64  | 1170.00       | 3.48         | 1173.48 |
| 34. उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु प्रावधान                                      |             |               |              |         |                   |              |         |               |              |         |
| <b>प्राथमिक शिक्षा</b>                                                                                          |             |               |              |         |                   |              |         |               |              |         |
| 34.1 अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण                                                                       | 2552        | 50.00         | ...          | 50.00   | 33.20             | ...          | 33.20   | 50.00         | ...          | 50.00   |
| 34.2 राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली                                                                               | 2552        | 0.70          | ...          | 0.70    | ...               | ...          | ...     | 1.43          | ...          | 1.43    |

| (करोड़ रुपए)                                                                                                            |               |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| मुख्य शीर्ष                                                                                                             | बजट 2009-2010 |                 |                | संशोधित 2009-2010 |                 |                | बजट 2010-2011   |                 |                |                 |
|                                                                                                                         | आयोजना        | आयोजना-भिन्न    | जोड़           | आयोजना            | आयोजना-भिन्न    | जोड़           | आयोजना          | आयोजना-भिन्न    | जोड़           |                 |
| 34.3 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम                                                                   | 2552          | 800.00          | ...            | 800.00            | 736.37          | ...            | 736.37          | 944.00          | ...            | 944.00          |
| 34.4 सर्वशिक्षा अभियान                                                                                                  | 2552          | 1166.08         | ...            | 1166.08           | 1166.08         | ...            | 1166.08         | 1397.90         | ...            | 1397.90         |
| 34.5 मदरसों में गुणवत्तामूलक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम)                                                  | 2552          | 5.00            | ...            | 5.00              | 5.00            | ...            | 5.00            | 5.00            | ...            | 5.00            |
| 34.6 अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएसआई)                                                         | 2552          | 0.50            | ...            | 0.50              | 0.50            | ...            | 0.50            | 1.08            | ...            | 1.08            |
| <b>जोड़-प्राथमिक शिक्षा</b>                                                                                             |               | <b>2022.28</b>  | ...            | <b>2022.28</b>    | <b>1941.15</b>  | ...            | <b>1941.15</b>  | <b>2399.41</b>  | ...            | <b>2399.41</b>  |
| <i>माध्यमिक शिक्षा</i>                                                                                                  |               |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| 34.7 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद                                                                      | 2552          | 4.00            | ...            | 4.00              | 3.00            | ...            | 3.00            | 4.00            | ...            | 4.00            |
| 34.8 केंद्रीय विद्यालय संगठन                                                                                            | 2552          | 30.00           | ...            | 30.00             | 34.00           | ...            | 34.00           | 35.00           | ...            | 35.00           |
| 34.9 नवोदय विद्यालय समिति                                                                                               | 2552          | 130.00          | ...            | 130.00            | 130.00          | ...            | 130.00          | 138.50          | ...            | 138.50          |
| 34.10 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान                                                                                  | 2552          | 210.52          | ...            | 210.52            | 72.75           | ...            | 72.75           | 172.46          | ...            | 172.46          |
| 34.11 उत्कृष्टता के बेंच मार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना करने की योजना                                | 2552          | 37.10           | ...            | 37.10             | 37.10           | ...            | 37.10           | 42.50           | ...            | 42.50           |
| 34.12 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी                                                                        | 2552          | 30.00           | ...            | 30.00             | 20.00           | ...            | 20.00           | 40.00           | ...            | 40.00           |
| 34.13 माध्यमिक विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा                                                         | 2552          | 7.00            | ...            | 7.00              | 6.00            | ...            | 6.00            | 7.00            | ...            | 7.00            |
| 34.14 सुलभता और साम्यता                                                                                                 | 2552          | ...             | ...            | ...               | ...             | ...            | ...             | 0.05            | ...            | 0.05            |
| 34.15 शिक्षा का व्यावसायीकरण                                                                                            | 2552          | 3.70            | ...            | 3.70              | 0.10            | ...            | 0.10            | 2.50            | ...            | 2.50            |
| 34.16 माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना                                                | 2552          | 5.00            | ...            | 5.00              | 3.50            | ...            | 3.50            | 5.00            | ...            | 5.00            |
| 34.17 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा संचालन हेतु योजना | 2552          | 6.00            | ...            | 6.00              | 8.00            | ...            | 8.00            | 10.00           | ...            | 10.00           |
| 34.18 भाषा अध्यापकों की नियुक्ति                                                                                        | 2552          | 1.60            | ...            | 1.60              | 1.60            | ...            | 1.60            | 1.50            | ...            | 1.50            |
| 34.19 राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना                                                                       | 2552          | ...             | ...            | ...               | ...             | ...            | ...             | 9.05            | ...            | 9.05            |
| <b>जोड़-माध्यमिक शिक्षा</b>                                                                                             |               | <b>464.92</b>   | ...            | <b>464.92</b>     | <b>316.05</b>   | ...            | <b>316.05</b>   | <b>467.56</b>   | ...            | <b>467.56</b>   |
| <i>प्रौढ़ शिक्षा</i>                                                                                                    |               |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| 34.20 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना                                                                                 | 2552          | 31.50           | ...            | 31.50             | 31.50           | ...            | 31.50           | 116.90          | ...            | 116.90          |
| 34.21 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता                    | 2552          | 12.16           | ...            | 12.16             | 12.16           | ...            | 12.16           | 12.10           | ...            | 12.10           |
| 34.22 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय                                                                                            | 2552          | 1.20            | ...            | 1.20              | 1.20            | ...            | 1.20            | 1.00            | ...            | 1.00            |
| 34.23 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण                                                                                 | 2552          | 0.24            | ...            | 0.24              | 0.24            | ...            | 0.24            | ...             | ...            | ...             |
| <b>जोड़-प्रौढ़ शिक्षा</b>                                                                                               |               | <b>45.10</b>    | ...            | <b>45.10</b>      | <b>45.10</b>    | ...            | <b>45.10</b>    | <b>130.00</b>   | ...            | <b>130.00</b>   |
| <b>जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रावधान</b>                                                                                 |               | <b>2532.30</b>  | ...            | <b>2532.30</b>    | <b>2302.30</b>  | ...            | <b>2302.30</b>  | <b>2996.97</b>  | ...            | <b>2996.97</b>  |
| <b>कुल जोड़</b>                                                                                                         |               | <b>26800.00</b> | <b>2299.21</b> | <b>29099.21</b>   | <b>22729.00</b> | <b>2609.00</b> | <b>25338.00</b> | <b>31036.00</b> | <b>2178.00</b> | <b>33214.00</b> |
| * इसमें ईएपी संघटक के रूप में 41.40 करोड़ रुपए शामिल हैं।                                                               |               |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| ** इसमें ईएपी संघटक के रूप में 1025.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।                                                            |               |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| <b>ग. आयोजना परिव्यय</b>                                                                                                | विकास शीर्ष   | बजट समर्थन      | आं.ब.बा.सं.    | जोड़              | बजट समर्थन      | आं.ब.बा.सं.    | जोड़            | बजट समर्थन      | आं.ब.बा.सं.    | जोड़            |
| <b>केन्द्रीय योजना</b>                                                                                                  |               |                 |                |                   |                 |                |                 |                 |                |                 |
| 1. सामान्य शिक्षा                                                                                                       | 22202         | 24267.70        | ...            | 24267.70          | 20426.70        | ...            | 20426.70        | 28039.03        | ...            | 28039.03        |
| 2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं                                                                                               | 22251         | ...             | ...            | ...               | ...             | ...            | ...             | ...             | ...            | ...             |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र                                                                                                   | 22552         | 2532.30         | ...            | 2532.30           | 2302.30         | ...            | 2302.30         | 2996.97         | ...            | 2996.97         |
| <b>जोड़-केन्द्रीय योजना</b>                                                                                             |               | <b>26800.00</b> | ...            | <b>26800.00</b>   | <b>22729.00</b> | ...            | <b>22729.00</b> | <b>31036.00</b> | ...            | <b>31036.00</b> |

**1. सचिवालय:** सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान।

**2. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढीकरण:** - प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए स्वस्थ सांस्थानिक अवसंरचना का सृजन करने तथा प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए शैक्षिक संसाधन सहायता का प्रावधान करने के लिए शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन और पुनःसंरचना की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 1987 में शुरू की गई थी।

सिविल कार्यों, उपकरणों की खरीद, वेतन एवं भत्तों, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों इत्यादि के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है और मूल्यांकन होने तक यह योजना अपने मौजूदा मानदंडों और प्राचलों के बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेगी।

**3. महिला समाख्या कार्यक्रम :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारिता के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए महिला समाख्या योजना शुरू की गई थी। यह योजना इस समय ग्यारह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित की जा रही है।

**4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली-** भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा 1956 में स्थापित राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली एक स्वायत्त निकाय है जिसका संपूर्ण वित्त-पोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाल भवन 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के, विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान देता रहा है।

**6. स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम:-** नामांकन, अवरोध और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों में पोषण स्तर में वृद्धि करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ में देश के 2408 ब्लॉकों में 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया था। क्रमशः इसे प्राथमिक स्तर के बच्चों को शामिल करने के लिए देश के सभी ब्लॉकों में विस्तारित किया गया। अक्टूबर, 2007 में इस योजना को पुनः संशोधित करके इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI से VIII के बच्चों को शामिल किया गया। 2008-09 से आगे यह कार्यक्रम देश भर के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII तक के सभी बच्चों के लिए विस्तारित किया जाएगा।

**7. सर्व शिक्षा अभियान:** भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाला प्लैगशिप कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षा की सुलभता, प्रतिधारण और गुणवत्ता सुधार को सुनिश्चित करता है। 10वीं योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों के मध्य व्यय की भागीदारी 75:25 के आधार पर थी। ग्यारहवीं योजनावधि के पहले दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए 55:45 और तत्पश्चात् 50:50 का निधीयन पैटर्न होगा। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत निधीयन पैटर्न 90:10 का है जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट 10% निधियों में से होगी।

स्त्री-पुरुष समानता को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं पर केन्द्रित दो अतिरिक्त घटक हैं: (i) प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम: और (ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक अलग योजना थी जिसे वर्ष 2007-08 के बाद से सर्व शिक्षा अभियान में विलयित कर दिया गया है।

**9. प्रारंभिक शिक्षा कोष:** "वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के माध्यम से सभी प्रमुख केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर के लागू होने से शिक्षा उपकर की प्राप्ति के लिए अव्यपगत निधियों हेतु 14/11/2005 को प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की गई। प्रारंभिक शिक्षा कोष की कार्य प्रणाली/कार्य पद्धति पर भारत के नियंत्रक और महालेखाकार कार्यालय की सहमति है। प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना के संबंध में दिनांक 30 अगस्त, 2006 की अधिसूचना/संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।"

**11. मदरसा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं:** औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बच्चों को योग्य बनाने हेतु इस योजना के माध्यम से मदरसों में गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।

**12. अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास की योजना:** दिसम्बर 2008 से क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास योजना के रूप में संशोधित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना के संवर्द्धन और सुदृढीकरण द्वारा यह योजना अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करेगी।

**13. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:** राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इस परिषद का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को उनकी नीतियों को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने तथा स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापरक सुधार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को अंतिम रूप देने सहित मुख्य कार्यक्रमों के लिए सलाह देना और सहायता प्रदान करना था। वर्ष 2006-07 से स्कूलों में गुणवत्ता सुधार योजना जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, स्कूलों में पर्यावरणीय पुनश्चर्या कार्यक्रम, स्कूलों में योग का आरंभ और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड जैसे घटक शामिल हैं, को कार्यान्वयन हेतु एनसीईआरटी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

**14. केन्द्रीय विद्यालय संगठन:** केन्द्रीय विद्यालय संगठन का गठन वर्ष 1965 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण और प्रबंधन हेतु एक पंजीकृत निकाय के रूप में सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठन के तौर पर किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य स्थानांतरणीय केन्द्र सरकार कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

**15. नवोदय विद्यालय समिति:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1986 (1992 में यथा संशोधित) के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत वर्ष 1986 में स्थापित स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जाते हैं। वर्तमान में 561 नवोदय विद्यालय कार्यशील हैं।

**16. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:** सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उच्च प्राथमिक स्तर पूरा करने वाले छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अतः यह आवश्यक पाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जाए। तदनुसार मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की एक नई योजना आरंभ की गई। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2009-10 से आरंभ किया गया है।

**17. उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना:** 15 अगस्त, 2007 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से 6000 नए उच्च गुणवत्तापरक स्कूलों की स्थापना की घोषणा की थी। राज्य सरकारों के प्रबंधन के अधीन शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 2500 स्कूल स्थापित करने हेतु कार्यक्रम का प्रथम चरण नवम्बर, 2008 में आरंभ किया गया था। स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष 2009-10 में आरंभ किया गया।

**18. स्कूलों में सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी :** वर्ष 2006 में स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन तथा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की विद्यमान स्कीमों का समावेशन करके स्कूलों में सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की थी ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विविधता को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष बल के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से अध्ययन को प्रोन्नत किया जा सके। आईसीटी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता 75: है। निधियों का शेष 25: राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा या

राज्य सरकार योगदान के अतिरिक्त या विकल्प के रूप में एमपीएलएडी स्कीम से पूरा किया जाता है। विशेष श्रेणी गत राज्यों नामतः पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश को 90:10 के अनुपात में सहायता दी जाती है। स्कीम को आर्थिक कार्यकलाप संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीम के दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

**19. माध्यमिक स्कूलों में शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा:** कक्षा IX-XII तक शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के सहायताार्थ माध्यमिक स्तर पर अप्रैल, 2009 से शारीरिक रूप से निशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की एक नई स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में शामिल सभी मदों के लिए सहायता 100: आधार पर दी जाएगी। राज्य सरकारों को प्रत्येक बच्चे के लिए 600 रु. प्रति वर्ष तक प्रदान करना भी आवश्यक है।

**20. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान:** पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल के नाम से जाना जाने वाले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और पूर्व डिग्री स्तर पर इसके शैक्षणिक, जीवन संवर्धन और व्यवसायोन्मुख पाठ्यक्रमों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना है। यह स्कूल स्तर पर मुक्त अध्ययन प्रणाली के माध्यम से औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में शिक्षा प्रदान करता है।

**21. सुलभता और साम्यता :** स्कीम परिसमाप्त कर दी गई है। शेष भुगतानों के लिए 0.50 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।

**22. केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में वर्ष 1961 में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन के 79 स्कूल हैं।

**23. शिक्षा का व्यावसायीकरण:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यथाकल्पित माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायोन्मुखीकरण में शैक्षिक अवसरों की विविधता का प्रावधान है ताकि व्यक्तिगत नियोज्यता में वृद्धि की जा सके तथा उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को एक विकल्प प्रदान करने के लिए कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच अंतर को कम किया जा सके। स्कीम के अंतर्गत कृषि, व्यापार और वाणिज्य इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पैरामेडिकल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी आदि विषयों में +2 स्तर पर रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। स्कीम संशोधनाधीन है।

**24. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम:** वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक स्कीम आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल-बाह्य दर में कमी लाने के लिए एक पात्र वातावरण तैयार करना और माध्यमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से संबद्ध बालिकाओं के नामांकन का संवर्धन करना तथा उन्हें बनाए रखना सुनिश्चित करना है।

**25. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उन्हें चलाने के लिए योजना:** माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास सुविधाओं के सृजन के लिए एक नई योजना आरंभ की गयी है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक (लगभग

3500 ब्लॉक) में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाना है। ये छात्रावास जहां व्यवहार्य हों, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थापित होंगे और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें आवासीय माध्यमिक स्कूलों में प्रोन्नत कर दिया जाएगा।

**26. भाषा अध्यापकों की नियुक्ति:** गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों, शैक्षिक रूप से पिछड़े अत्यधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले ब्लॉकों अथवा जिलों में उर्दू अध्यापकों तथा हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मांग करने वाले स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाने वाले, आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति हेतु इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाती है।

**27. राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना:** 2007-08 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना नामक केन्द्र प्रायोजित योजना 2008-09 में आरंभ की गयी थी। प्रत्येक वर्ष कक्षा IX-XII में अध्ययन के लिए चुनिंदा छात्रों को 6000/- रुपए प्रति वर्ष (500/- रुपए प्रति माह) की छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्तियां देना है ताकि कक्षा आठ में उनकी स्कूल बाह्य दर में कमी लाई जा सके और माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा 12 तक में उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

**28. अन्य कार्यक्रम:** इनमें (क) उलनबातर में संयुक्त भारत-मंगोलिया स्कूल की सहायता हेतु प्रावधान शामिल है और (ख) राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार।

**29. प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास योजना:** साक्षरता अभियान और आपरेशन रैस्टोरेशन तथा नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा की मौजूदा योजनाओं को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास की एकल योजना में विलयित कर दिया गया है और अब इसे साक्षर भारत कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है जो मौजूदा दोनों योजनाओं को कवर करेगा। इस कार्यक्रम को मिशन मोड में कार्यान्वयन किया जाना है।

**30. प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता:** इस नई योजना में प्रौढ़ शिक्षा तथा जन शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सहायता की दो मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को 15-35 आयु वर्ग में प्रौढ़ निस्सहों को साक्षरता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित राज्य संसाधन केन्द्र भी इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करते हैं।

**31. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गयी थी। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का वित्तपोषण पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

**32. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्वायत्त स्कंध के रूप में 1988 में की गयी थी।